

139 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर  
मिसल नं० 1390/18 दि० 16-5-2018  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 16-5-2018

प्रार्थी श्री हरजी पिता मालिक :: निर्णय ::

जति ~~11~~ उम्र ~~11~~ नि० ~~21251~~ तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत ~~16-5-2018~~ दिनांक 16-5-2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ~~21251~~ पंचायत समिति ~~21251~~ में स्थित खाता संख्या 184 पर आराजी नं० ~~237~~ कुल ~~11~~ बीघा ~~11~~ बिस्वा किता ~~1~~ योग रकबा ~~11~~ पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी ~~2192 / पंजाबी~~ नि० ~~21251~~ ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम ~~21251~~ के खसरा नं० ~~238~~ रकबा ~~13~~ बीघा ~~13~~ बिस्वा कुल किता ~~1~~ योग रकबा ~~13~~ की जमाबंदी सम्वत् ~~2018-19~~ की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा ~~21251~~ में स्थित खाता संख्या ~~184~~ पर आराजी नं० ~~237~~ रकबा ~~13~~ बिस्वा कुल किता ~~1~~ कुल रकबा ~~13~~ की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा ~~21251~~ में स्थित खाता संख्या ~~184~~ पर आराजी नं० ~~237~~ रकबा ~~11~~ कुल किता ~~1~~ कुल रकबा ~~11~~ विवादग्रस्त ~~21251~~ की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक ~~21251~~ के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रु० ~~250 / 1950~~ प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फँसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

S. Singh